जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः ज.वि.प्रा. / अति.मु.न.नि. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2019 / डी–1950 दिनांकः– 04/11/2019

—:कार्यवाही विवरणः—

विषयः— भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 221वीं बैठक दिनांक 31.10.2019 को दोपहर 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थित सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

1. **एजेण्डा नम्बर 221.1 (31.10.2019):—**

विषयः— भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 220वीं बैठक दिनांक 11.10.2019 को सम्पन्न हुई, 220वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा।

निर्णयः— भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की दिनांक 11.10.2019 को सम्पन्न हुई 220वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा की गई एवं कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

2. **एजेण्डा नम्बर 221.2 (31.10.2019)(जोन–01):—**

विषयः— भूखण्ड संख्या ए–2, पृथ्वीराज रोड़, सी–स्कीम, जयपुर पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट की स्वीकृति के एवज में निर्मित किये जाने वाले ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. फ्लैटों के निर्माण को पूर्ण कर जयपुर विकास प्राधिकरण को संभलवाने तक भूखण्ड संख्या ए–2, पृथ्वीराज रोड़, सी–स्कीम, जयपुर पर निर्मित किये जा रहे कुल फ्लेटो में से 6445.59 वर्गमीटर के बराबर क्षेत्रफल के रहन रखे हुये 18 फ्लेटों को रहनमुक्त करने बाबत।

प्रार्थीः— श्री नेमीचन्द जैन, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, वास्ते मैसर्स ओम मेटल्स कन्सोंटियम प्रा.लि.।

भूखण्ड संख्या ए–2, पृथ्वीराज रोड़, सी–स्कीम, जयपुर पर निर्माणाधीन 30 मीटर ऊँचाई की ग्रुप हाउसिंग परियोजना तथा इसकी स्वीकृति के क्रम में ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के लिए आवास इकाईयों के निर्माण हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्रों की स्वीकृति बाबत प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 201वीं बैठक दिनांक 21.02.2018 में प्रस्तुत किया जाकर सशर्त अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 25.05.2018 को 30 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये गये।

जारी स्वीकृति पत्र की शर्त संख्या 28 में उल्लेख अनुसार "आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 22.05.2018 के अनुसार ग्राम नाहरिया का बास पर प्रस्तावित ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी के कुल क्षेत्रफल 6445.59 वर्गमीटर के बराबर क्षेत्रफल की एवज में मूल भूखण्ड संख्या ए–2, पृथ्वीराज रोड़, सी–स्कीम, जयपुर पर फ्लैट्स क्रमशः ए–11, ए–12, ए–31, ए–41, ए–51, ए–61, ए–71, ए–32, ए–52 के–11, के–21, के–31, के–51, के–61, के–71, के–81, के–91, एच–12 (कुल 18 फ्लैट्स, क्षेत्रफल 6445.92 वर्गमीटर) रहन रखें गये हैं एवं ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. का कब्ना जयपुर विकास प्राधिकरण को नहीं संभलवाने की स्थिति में जविप्रा को नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।"

ई.डब्ल्यू.एस. आवास हेतु गोवर्धन विहार एच ब्लॉक के भवन मानचित्र स्वीकृत किये गये जिसके अनुसार विकासकर्ता द्वारा मूल भूखण्ड संख्या ए–2, पृथ्वीराज मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर पर प्रस्तावित कुल 92970.65 व.मी. एफ.ए.आर. की एवज में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.05.2012 के प्रावधानानुसार प्रस्तावित एफ.ए.आर. के 5 प्रतिशत के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड गोवर्धन विहार एच ब्लॉक योजना, ग्राम नाहरिया का बास, तहसील चाकसू, जयपुर पर 5 प्रतिशत अर्थात 2148.53 व.मी. का तिगुना अर्थात 6445.59 व.मी. क्षेत्रफल प्रस्तावित किया हैं।

विकासकर्ता द्वारा दिनांक 25.04.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हमारे द्वारा उक्त ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. इकाईयों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया हैं। अतः हमारे द्वारा

ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के कुल क्षेत्रफल 6445.59 वर्गमीटर के बराबर क्षेत्रफल की एवज में मूल भूखण्ड संख्या ए–2, पृथ्वीराज रोड़, सी–स्कीम, जयपुर पर फ्लैट्स क्रमशः ए–11, ए–12, ए–31, ए–41, ए–51, ए–61, ए–71, ए–32, ए–52 के–11, के–21, के–31, के–51, के–61, के–71, के–81, के–91, एच–12 (कुल 18 फ्लैट्स, क्षेत्रफल 6445.92 वर्गमीटर) को रहन मुक्त करने का कष्ठ करें।

उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 09.05.2019 को उपायुक्त जोन–14 को रिपोर्ट हेतु प्रेषित किया गया। उपायुक्त जोन–14 की रिपोर्ट दिनांक 27.08.2019 को प्राप्त हुई (प्रति संलग्न है), जिसके अनुसार उक्त प्रोजेक्ट का अधिशाषी अभियन्ता जोन–14 एवं पी.एच.ई.–प्रथम तथा विद्युत–द्वितीय से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार फ्लैटों का निर्माण कार्य विकासकर्ता द्वारा करवाया दिया गया हैं। ग्राम नाहरिया का बास गोवर्धन विहार स्कीम एच ब्लॉक, के ए ब्लॉक में निर्मित किये गये 104 फ्लैटस, बी ब्लॉक के 112 फ्लैट्स तथा सी ब्लॉक के 26 फ्लैट्स अर्थात कुल 242 फ्लैट्स का निर्माण कार्य विकासकर्ता द्वारा करवा दिया गया हैं। अधिशाषी अभियन्ता जोन–14 की रिपोर्ट के अनुसार जविप्रा द्वारा उक्त प्रकार से विकासकर्ता के द्वारा निर्मित कर दिये गये 6445.87 व.मी. क्षेत्रफल के 242 फ्लैटों का कब्जा मय चाबी प्राप्त कर लिया गया हैं, जिसकी प्रति संलग्न हैं।

अतः उपरोक्तानुसार जविप्रा द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के लिए 6445.87 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 242 आवास ईकाईयों का कब्जा संभाल लेने के उपरान्त इनकी एवज में मूल भूखण्ड के रहन रखे हुये 18 फ्लैटों को रहनमुक्त किये जाने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

<u>निर्णयः</u>— *एजेण्डा नोट का समिति द्वारा अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि विकासकर्ता द्वारा एफ.ए.आर. की एवज में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.05.2012 के प्रावधानानुसार प्रस्तावित एफ.ए.आर. क्षेत्र के 5 प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस. हेतु प्रश्नगत भूखण्ड गोवर्धन विहार एच ब्लॉक योजना, ग्राम नाहरिया का बास, तहसील चाकसू, जयपुर पर 2148.53 व.मी. का तिगुना अर्थात 6445.87 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर 242 आवास ईकाईयों का निर्माण पूर्ण कर आवासों का कब्जा जविप्रा को संभला दिया गया हैं। अतः इनकी एवज में मूल भूखण्ड संख्या ए–2, पृथ्वीराज रोड़, सी–स्कीम, जयपुर के रहन रखे हुये 18 फ्लैटों को रहनमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।*

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

3. एजेण्डा नम्बर 221.3 (31.10.2019)(जोन–10):–

1.	विषय	खसरा नम्बर 70मिन, 70/296, 96मिन, 97, 98, 100 से 103, 103/270, 104 से 106, 107 मिन, ग्राम रूपा की नांगल व खसरा नम्बर 6 मिन, 8 एम, 9 से 12, 13मिन, ग्राम मुकुन्दपुरा, जयपुर के प्रस्तावित संस्थानिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।
2.	आवेदक का नाम	डॉ. रेनु बापना, सचिव, दी एल.एन.एम. इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलाजी

3. **प्रकरण के तथ्यः**–आवेदक द्वारा कुछ अन्य नई बिल्डिंग ब्लॉक प्रस्तावित करते हुए तथा पूर्व में स्वीकृत बिल्डिंग ब्लॉक्स में आन्तरिक संशोधन करते हुए एवं मौके पर बिना अनुमति किये गये निर्माण की मौका स्थिति अनुसार भवन मानचित्र प्रस्तुत करते हुए संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये। संशोधित भवन मानचित्रों को बीपीसी–बीपी की 210वीं बैठक दिनांक 15.03.2019 में प्रस्तुत कर निम्नवत निर्णय लिये गयेः–

1. प्रार्थी द्वारा मौके पर बिना अनुमोदन के बनाये गये बॉयज हॉस्टल–3 (भूतल + सात तल) निर्मित सीढियों की चौडाई 1.0 मीटर रखी गई है। तथा लाईब्रेरी ब्लॉक में निर्मित सीढियों की चौडाई 1.2 मीटर रखी गई है। जबकि एकीकृत भवन विनियम 2017 की तालिका सात के अनुसार संस्थागत भवन हेतु सीढियों की न्यूनतम चौडाई 1.5 मीटर रखा जाना आवश्यक है। एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम 7.2 के अनुसार इन विनियमों के किसी प्रावधानों में शिथिलता देने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी में प्रकरण प्रस्तुत कर उसकी अभिशंषा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकेंगा।

   चूंकि मौके पर उक्त ब्लॉकों का निर्माण किया जा चुका हैं। अतः उक्त ब्लॉकों में सीढ़ियों की चौड़ाई में शिथिलता दिये जाने के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जावें।
2. वर्तमान में आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधित भवन मानचित्रों हेतु एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधानानुसार प्रकरण में निम्नानुसार राशि बनती हैं:–

1.	भवन अनुज्ञा शुल्क (50/– X 77972.53 व.मी.)	रू. 38,98,627/–
2.	जाँच शुल्क	रू. 1,00,000/–
3.	अमानता राशि	रू. 20,00,000/–
4.	वर्षा जल संग्रहण हेतु अमानता राशि	रू. 5,00,000/–
5.	बीएसयूपी शेल्टर फण्ड (10/– X 77972.53 व.मी.)	रू. 7,79,726/–
6.	बिना अनुमति निर्माण शास्ति (प्रश्नगत भूखण्ड की आरक्षित दर रू 11,500 प्रति व.मी. है। जिसके अनुसार निर्धारित दर आरक्षित दर का दुगना = रू 23,000 प्रति व.मी. होती है। बिना अनुमति निर्माण शास्ती के लिये निर्धारित दर का 10 प्रतिशत रू 2,300 X बिना अनुमति किया गया निर्माण रू 29,247.70 व.मी. लिया जावेंगा)।	रू. 6,72,69,710/–
	कुल	7,45,48,063/–

प्रार्थी द्वारा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि "हमारी संस्थान LNMIIT राज्य सरकार से सहायता प्राप्त संस्था (Govt. aided) हैं जो कि राज्य सरकार का Collaborative venture हैं जिसके अनुसार नये व पुराने निर्माण हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में पूर्ण रूप से छूट दी जावें।" अतः इस संबंध में उपरोक्त वर्णित राशियों में शिथिलता प्रदान की जा सकती हैं अथवा नहीं, इस संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण पुनः बीपीसी–बीपी की बैठक में प्रस्तुत किया जावें।"

बीपीसी–बीपी के उपरोक्त निर्णय के क्रम में दिनांक 25.03.2019 को राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया गया। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 24.05.2019 द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रेषित किया गया:–

"संस्थागत भवन हेतु न्यूनतम आवश्यक सीढ़ियों की चौड़ाई में शिथिलता प्रदत्त किये जाने तथा नये व पुराने निर्माण हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में पूर्ण रूप से छूट प्रदत्त किये जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता हैं। अतः नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कराने एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी मांग पत्र अनुसार राशि जमा कराये जाने हेतु संबंधित संस्थान को निर्देश जारी करने का श्रम करावें।"

प्रकरण में राज्य सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन दिनांक 24.05.2019 के क्रम में पत्रावली पैरा 98/एन से 103/एन अनुसार प्रस्तुत की गई जिस पर निदेशक महोदय द्वारा बिल्डिंग प्लान के साथ प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं तदानुसार पैरा 106/एन से 111/एन के अनुसार तथ्य प्रेषित किये गये जिस पर निदेशक (आयोजना) द्वारा एन.बी.सी. के प्रावधानों के तहत परीक्षण हेतु निर्देशित किया गया एवं तथ्य नोट किया गया कि बॉयज हॉस्टल–3 (भूतल + सात तल) में पांच सीढ़ियों का प्रावधान रखा गया हैं जबकि आवश्यक सीढ़ियों 3 जिनकी चौड़ाई 1.5 मीटर हैं। 1 मीटर चौड़ाई वाली सीढ़ियां अतिरिक्त हैं। इसी प्रकार से लाईब्रेरी ब्लॉक में निर्मित सीढ़ियों की चौडाई 1.2 मीटर रखी गई है, जिसके संबंध में यह तथ्य नोट किया गया कि लाईब्रेरी ब्लॉक को विस्तारित किया गया हैं एवं उसमें सीढ़ियों की चौड़ाई 1.5 मीटर रखा गया हैं। अतः दोनों ब्लॉक में 1.5 मीटर चौडाई की सीढ़ियां उपलब्ध हैं जो कि एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधानों की पूर्ति करती हैं।

विकासकर्ता द्वारा दिनांक 19.08.2019 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उनकी संस्था चेरीटेबल संस्था हैं, जो कि राजस्थान सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। अतः राज्य सरकार की

	अधिसूचना दिनांक 22.07.2019 के तहत Building plan permission charges में पूर्ण रूप से छूट दी जावें। उक्त अधिसूचना में उल्लेख किया गया हैं कि "राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 10 (2), राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के नियम 17 तथा एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम 7.1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक कार्यो में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चेरीटेबल संस्थाओं को राज्य के नगरीय क्षेत्रों में लोग उपयोगी सुविधाओं यथा चिकित्सा सुविधायें, शैक्षणिक सुविधायें, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, निःशक्तजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बाल गृह आदि के विकास को प्रोत्साहित किये जाने की दिशा में इन संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दरों, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत–प्रतिशत छूट प्रदान की जाती हैं।" संस्था द्वारा चेरीटेबल संस्था होने के साक्ष्य के रूप में प्रतिवेदन के साथ में सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेटस एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के अन्तर्गत आयकर से छूट से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। संस्था के चेरीटेबल होने के संबंध में जोन को दिनांक 09.09.2019 एवं 27.09.2019 को यू.ओ. नोट प्रेषित किये गये हैं। रिपोर्ट अभी अप्राप्त हैं।
4.	**विचारणीय बिन्दुः–** 1. राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 22.07.2019 यदि उक्त प्रकरण पर लागू होती हैं तो जविप्रा द्वारा निम्न राशियों में से जिन राशियों बाबत छूट प्रदान की जानी हैं के बाबत निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

1.	भवन अनुज्ञा शुल्क (50/– X 77972.53 व.मी.)	रू. 38,98,627/–
2.	जाँच शुल्क	रू. 1,00,000/–
3.	अमानता राशि	रू. 20,00,000/–
4.	वर्षा जल संग्रहण हेतु अमानता राशि	रू. 5,00,000/–
5.	बीएसयूपी शेल्टर फण्ड (10/– X 77972.53 व.मी.)	रू. 7,79,726/–
6.	बिना अनुमति निर्माण शास्ति (प्रश्नगत भूखण्ड की आरक्षित दर रू 11,500 प्रति व.मी. है जिसके अनुसार निर्धारित दर आरक्षित दर का दुगना = रू 23,000 प्रति व.मी. होती है। बिना अनुमति निर्माण शास्ती के लिये निर्धारित दर का 10 प्रतिशत रू 2,300 X बिना अनुमति किया गया निर्माण रू 29,247.70 व.मी. लिया जावेंगा)।	रू. 6,72,69,710/–
	कुल	7,45,48,063/–

निर्णयः– *एजेण्डा नोट एवं पत्रावली का समिति द्वारा अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि एल.एन. एम. इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलाजी संस्था राजस्थान सोसायटी एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 (राजस्थान एक्ट नम्बर 28, 1958) में रजिस्टर्ड हैं तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी (5)(vi) के तहत छूट मिली हुई हैं। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.07.2019 के तहत उक्त संस्था को अलाभकारी पंजीकृत चेरीटेबल संस्था मानते हुए विचारणीय बिन्दु में उल्लेखित मांग राशियों में से भवन अनुज्ञा शुल्क की सम्पूर्ण राशि 38,98,627/– रूपये की छूट दिये जाने एवं विकासकर्ता को शेष राशियों को जविप्रा में जमा करायें जाने का मांग पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह तथ्य भी नोट किया गया कि बॉयज हॉस्टल–3 (भूतल + सात तल) एवं विस्तारित लाईब्रेरी ब्लॉक में 1.5 मीटर चौडाई की सीढ़ियां उपलब्ध हैं जो कि एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधानों के अनुरूप हैं।*

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/अति.मु.न.नि./बीपीसी(बीपी)/2019/डी–1950
दिनांकः– 04/11/2019

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, जविप्रा एवं माननीय मंत्री महोदय, नविवि एवं आवासन विभाग, राज.।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति० आयुक्त (पूर्व)/(प्रशासन)/(एलपीसी)/(भूमि), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन–01 एवं 10, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यवाही विवरण को अविलम्ब जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
8. उप निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

परिशिष्ठ–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 221वीं बैठक दिनांक 31.10.2019 को दोपहर 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1. श्री टी.रविकान्त, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष,
2. श्रीमती अर्चना सिंह, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
3. श्री अवधेश सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (पी.आर.एन.), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
4. श्री आर.के. विजयवर्गीय, निदेशक, (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
5. श्री ओ.पी. पारीक, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी जविप्रा, जयपुर।	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित :–

1. श्रीमती कुन्तल विश्नोई, उपायुक्त जोन–01 व 14, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री अबू सुफियान चौहान, उपायुक्त जोन– 04 व 09, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री सीताराम मीणा, उपनिदेशक (जनसम्पर्क), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री अर्पित संचेती, श्री मुकेश जांगिड़, उप नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री भीमसिंह राठौड़, सहायक नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।